भारत-फिनलैंड के बीच में कई समझौते

उद्देश्य दोनों देशों के बीच कुशल पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाना

नई दिल्ली 05 मार्च. भारत और फिनलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को डिजिटलीकरण तथा सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक स्तर तक बढाने और प्रौद्योगिकी, गतिशीलता और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए गुरुवार को कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और अनेक नयी पहलों की घोषणा की.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भारत यात्रा पर आये फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ गुरुवार को यहां द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों देशों ने पर्यावरण सहयोग , सांख्यिकी और माइग्रेशन तथा मोबिलिटी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये और डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अनुसंधान, स्टार्टअप और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ करने के लिए नई संयुक्त पहलों की घोषणा की गई। प्रमुख समझौतों में से एक माइग्रेशन और मोबिलिटी के क्षेत्र में है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच कुशल पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाना है.

एक अन्य समझौता पर्यावरण सहयोग पर पहले से जारी समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण से संबंधित है जिस पर पहली बार नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस नवीनीकृत समझौते के तहत सततता से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया जाएगा.

> दोनों देशों ने 6 जी के लिए एक संयुक्त कार्यबल बनाने की भी घोषणा की, जिसमें फिनलैंड के ओलू विवि व भारत के भारत 6-जी गठबंधन के शोधकर्ता शामिल होंगे, अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकों पर अनुसंधान और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाया जा सके। भारत फिनलैंड एक इंडो-फिनलैंड स्टार्टअप कॉरिडोर से स्टार्टअप सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। भारतीय स्टार्टअप को फिनलैंड के प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम स्लश हेलसिंकी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

मोदी ने बीजू पटनायक की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को ओडिशा के दिग्गज नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा संदेश में सार्वजनिक जीवन के प्रति श्री पटनायक की प्रतिबद्धता और ओडिशा की प्रगति के प्रति उनके समर्पण को स्मरण किया। उन्होंने लिखा, आज मैं श्री बीजू पटनायक की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

एक नजर में

खालिस्तान विरोधी यूट्यूबर नैंसी ग्रेवाल की हत्या

नई दिल्ली, 05 मार्च. कनाडा के ओंटारियो में भारतीय मूल की यूट्यूबर नैंसी ग्रेवाल (45) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ग्रेवाल सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं और पंजाब में विकास कार्यों तथा खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर बेबाकी से अपनी राय रखती थीं। घटना की जानकारी- घटना मंगलवार रात टॉड लेन पर हुई, जहां ग्रेवाल को रास्ते में चाकुओं से हमला किया गया। आपातकालीन कर्मियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वे मौके पर ही दम तोड़ गईं। पुलिस ने मौके पर जांच के लिए आसपास के घरों और सीढ़ियों से सबूत जुटाए। जांच और सुरक्षा-लासेल पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने स्थानीय निवासियों से सीसीटीवी फुटेज और किसी भी जानकारी के लिए अपील की. पीड़िता के परिवार और मित्रों के प्रति पुलिस ने संवेदना व्यक्त की। नैंसी ग्रेवाल की गतिविधियां-उन्होंने जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह, अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और डेरा ब्यास के गुरिंदर सिंह ढिल्लों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक रहे हैं। ग्रेवाल सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थक हिंसक गतिविधियों और पंजाब के विकास कार्यों पर टिप्पणी करती थीं ।यह हत्या कनाडा में भारतीय समुदाय और पंजाब से जुड़े राजनीतिक मामलों पर चर्चा का नया केंद्र बन गई है.

एमवीए गठबंधन शरद पवार को राज्यसभा भेजेगा

मुंबई, 05 मार्च. महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन महाविकास अघाड़ी (एमवीए) ने राज्यसभा चुनाव में राज्य से एनसीपी (शरद गुट) के प्रमुख शरद पवार को प्रत्याशी बनाया है. कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) ने पवार को समर्थन देने का ऐलान किया है. इससे पहले कांग्रेस, एनसीपी (शरद गुट) और शिवसेना (उद्धव गुट) तीनों ने उस एक सीट पर दावा जताया था, जिसे विपक्ष जीत सकता है. हालांकि कांग्रेस महासचिव रमेश चेन्निथला ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने पवार के नाम पर सहमति देते हुए उनको समर्थन देने का निर्णय लिया है. राज्य की मौजूदा संख्या के आधार पर विपक्षी गठबंधन केवल एक सीट जीतने की स्थिति में है. राज्यसभा में महाराष्ट्र की सात सीटों समेत 10 राज्यों की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है.

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दिया इस्तीफा

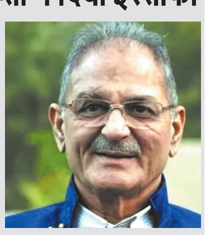

लद्दाख, 05 मार्च. लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है. केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ नौ महीने काम करने के बाद गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दिया. बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर गुप्ता ने इस साल की शुरुआत में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाला था.

SBFC

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 103, सी एंड बी स्कायर, संगम कॉम्प्लेक्स, अंधेरी कुर्ला रोड, चकला, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400059
टेलीफोन: +91 22 67875300 | www.sbfc.com | **CIN:** L67190MH2008PLC178270

आष्टा शाखा नए पते पर स्थानांतरित

प्रिय ग्राहकों,
यह आपको सूचित करने के लिए है कि हम अपनी आष्टा शाखा को **10.06.2026** से निम्न विवरणानुसार स्थानांतरित कर रहे हैं।

वर्तमान शाखा का पता	नई शाखा का पता
एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, कमरा नं. 1, भूतल, समिनरी रोड, बिजली कार्यालय के निकट, आष्टा, मध्य प्रदेश – 466116	**एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड,** भूतल, 605/1, कन्नौद रोड, आष्टा, जिला – सीहोर, मध्य प्रदेश – 466116

अतः ग्राहकों से अनुरोध है कि वे **10.06.2026** से अपने लेन-देन / अनुरोध हेतु नई शाखा पर पधारें। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, कृपया हमारी नई शाखा से संपर्क करने में संकोच न करें।

कृते एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

कमर्शियल वाहन की बिक्री सूचना

पार्टी का नाम	मॉडल	रजिस्ट्रेशन नं.	निर्माण वर्ष	पार्किंग स्थल
श्याम सिंह	MARUTI SUPER CARRY	MP14 ZC4033	2023 पेट्रोल	जय माता दी एसोसिएट्स प्लॉट नंबर ए/172 प्रगति धर्मकांटा गोभरिया बावड़ी सर्कल के पास जवाहर रोड कोटा 324005 (राजस्थान)
शाहबाज खान	CB_EICHER _PRO_3019	MH18 BZ9888	2024 डीजल	सद्भावना पार्किंग यार्ड महर्षि दयानंद चौक, न्यू मोंढा रिंग रोड जालना महाराष्ट्र 431203

जब्त वाहन की बिक्री के लिए ''जहां है, जिस स्थिति में है'' के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

शाखा का पता : कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
पांचवी मंजिल मेट्रो टॉवर, विजय नगर स्क्वेयर, ए.बी.रोड, मंगल सिटी मॉल के पास, इन्दौर-452010, संपर्क : 7798982480, 0731-4704049, 4704050

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक INDAL0220260018 **विज्ञप्ति** इन्दौर दिनांक 27.02.2026

म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनीयों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा **ग्राम-हरनियाखेड़ी, तहसील-डॉ. अम्बेड़कर नगर (महू), जिला-इंदौर** में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कॉलोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ. क्र.	कॉलोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखण्डों का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक **रत्नेश गोयल पिता श्री पारस कुमार गोयल** पता-27-ए, अन्नपूर्णा नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म.प्र.) कॉलोनी का नाम **"SHREENATH DREAM CITY"**	ग्राम-हरनियाखेडी, तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर, (महू), जिला-इंदौर स्थित भूमि खसरा नं. 149/2 रकबा 0.199 हे. खसरा नं. 149/1/3 रकबा 0.700 हे. कुल रकबा 0.899 हे. में से 8989.67 वर्गमीटर भूमि पर	MP7IGR17512025A1010 20415 इंदौर दिनांक 11.11. 2025 से भूखण्ड क्र. 1 से 11, 27, 31, 32, 42, 43, 44, 51, 56, 64, 65, 75, 76, 77 इस प्रकार कुल 24 भूखण्ड है जिसका कुल क्षेत्रफल 1521.49 वर्गमीटर है, बंधक रखे गये

उपरोक्त कालम नं. **4** में उल्लेखित **24** भूखण्ड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये हैं। अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखण्डों का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नहीं किया जावेगा।
(कलेक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)

अपर कलेक्टर जिला इंदौर

परिशिष्ठ IV (नियम 8(1)) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई 400098

जबकि यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे यथा उल्लखित मांग सूचना जारी की थी जिमसें कर्जदार(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के अंदर भुगतान करने के लिए कहा। इसके बाद, असाईनर संदर्भित ने अधोल्लिखित वित्तीय परिसंपत्तियाँ **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को स्वयं/अपनी **उल्लेखित विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टी** की क्षमता से कार्यरत (यहाँ आगे **"ईएआरसी"** कहा गया है) असाइनमेंट एग्रीमेंट के अनुसार सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत एसाइन कर दीं। ईएआरसी असाईनर की भूमिका में आ गया और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में विचाराधीन प्रतिभूति हितों, गारंटी, रेहनों सहित असाईनर के सभी अधिकार, हक और हित कर्जदार द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में **ईएआरसी** को निहित हो गए हैं और **ईएआरसी** प्रत्याभूत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकार प्रयोग करता है। कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** संपत्ति के समक्ष उल्लेखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्वजन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

समनुदेशक का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नंबर	उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की राशि एवं सूचना दिनांक	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
मेसर्स पूनावाला हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड	EARC TRUST SC- 425	HL/0180/H/15/100004	1. जगदीश प्रजापत (ऋणी) 2. गट्टा (सह-ऋणी) 3. बालुजी (सह-ऋणी)	रु. 9,60,915.50 (रुपये नौ लाख साहठ हजार नौ सौ पन्द्रह एवं पचास पैसे मात्र) एवं 27-03-2023	02-03-2026	भौतिक कब्जा
अचल संपत्ति का विवरण:- ग्राम बामनाई, पटवारी हल्का नंबर 57, तहसील- महिदपुर, जिला- उज्जैन (मध्य प्रदेश) स्थित सर्वे नंबर 111/2 की भूमि पर निर्मित अचल संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग। कुल क्षेत्रफल: 0-03 बीट (3168 वर्ग फीट), **संपत्ति की चर्तुसीमा इस प्रकार है** : पूर्व : बद्रीलाल का प्लाट, पश्चिम : सर्वे नं. 102 की भूमि, उत्तर : आम रास्ता, दक्षिण : शंकरसिंह पिता मदुसिंह की भूमि						
मेसर्स पूनावाला हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड	EARC TRUST SC- 484	HL/0180/H/16/100035	1. श्री संतोष (ऋणी) 2. श्री मागीलाल (सह-ऋणी) 3. श्रीमती रामकन्या बाई (सह-ऋणी) 4. श्रीमती रेखा बाई (सह-ऋणी)	रु. 13,29,707.60 (रुपये तैरह लाख उनतीस हजार सात सौ सात एवं साहठ पैसे मात्र) एवं 09-11-2024	02-03-2026	भौतिक कब्जा
अचल संपत्ति का विवरण:- ग्राम सुहागपुरा, ग्राम पंचायत सुहागपुरा, खसरा नं. 168, प.ह.नं. 90, तहसील-मेहिदपुर, जिला-उज्जैन म.प्र. स्थित मकान नं. 44 के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग। कुल क्षेत्रफल: 1068 वर्गफीट, **संपत्ति की चर्तुसीमा इस प्रकार है** : पूर्व : श्री जगदीश की भूमि, उत्तर : श्री जगदीश की भूमि, पश्चिम : सीसी रोड़ एवं श्री दिनेश की भूमि, दक्षिण : गोविंद दा का मकान						

स्थान : मुम्बई,
दिनांक : 03-03-2026

प्राधिकृत अधिकारी
एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

कार्यालय कलेक्टर, जिला-खरगोन (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0038/अ-82(NH)/2025-2026
क्रमांक/285/भू-अर्जन/2026 **खरगोन, दिनांक : 24.02.2026**

//प्रारम्भिक अधिसूचना//

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में ''बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए'' भूमि-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि ''कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।'' राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

विवरण	ग्राम गंगापुर भोरी अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।	निजी रकबा - 2.1980 शासकीय रकबा - 0.1188 **कुल - 2.3168**

-: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण
(क) जिला :- खरगोन
(ख) तहसील :- बड़वाह
(ग) ग्राम :- **गंगापुर भोरी**
(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल :- 2.1980 हे.

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टेयर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
01	1/1	0.6650	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
02	1/3	0.3428		
03	1/5	0.0274		
04	4/6	0.0283		
05	4/1/1	0.8517		
06	4/1/2			
07	4/3	0.2828		
कुल रकबा		**2.198**		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की **तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर** किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हों, फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

म.प्र. शासन के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(भव्या मित्तल)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला-खरगोन (म.प्र.)

म.प्र. माध्यम/124758/2026

मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड

(सुरक्षित और असुरक्षित ऋण व्यवसाय प्रभाग)
(मुथूट पप्पाचन समूह की कंपनी) CIN : U65929KL1997PLCO11518
प्रशासनिक कार्यालय : 710-ए एवं 711-ए, सातवीं मंजिल, फेस-2, स्पेंसर प्लाजा, माउंट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई-600 002
पंजीकृत कार्यालय : मुथूट सेन्टर, टीसी नं. 27/3022, पुन्नेन रोड़, त्रिवेन्द्रम, केरला - 695 001

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, **मुथूट फिनकार्प लिमिटेड (एमएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थी, जिनमें निन्नलिखित कर्जदार(रों), ग्यारंटर(रों) से संपूर्ण बकाया राशि, अद्यतन ब्याज, लागत और प्रभारों के साथ, उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) और वैकल्पिक तामील के लिए नीचे दिए अनुसार सूचना प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने हेतू, कम्पनी के प्रति उनकी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन की मांग की गई थी। उक्त कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) द्वारा ऋण की सम्यक वापसी के लिए प्रतिभूमि के रुप में क्रमशः निन्नलिखित आस्तियां **एमएफएल** के पास बंधक रखी गई है।

क्रं.	ऋणी/सह-ऋणी/ जमानतदार का नाम	मांग सूचना कि तिथि / एनपीए तिथि	कुल बकाया राशि	सुरक्षित संपत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति (यों) का विवरण
1.	**ऋण खाता नं. MFLMPDSECUL000005119235** **नंदलाल चौधरी (ऋणी),** रायझर सतजना रायझर तहसील सनावद जिला खरगौन पश्चिम निमाड़ म.प्र. 451111. **रुकमणी बाई (सह-ऋणी),** रायझर सतजना, राम मंदिर के पास, पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश 451111. **मुकुंद चौधरी (सह-ऋणी),** रायझर सतजना, तहसील सनावद जिला खरगौन पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश 451111 **सभी का संपत्ति का पता-** ग्राम रायझर प.ह.नं. 31, तहसील सनावद एवं जिला खरगौन, ग्राम पंचायत टोकले डिमांड पंजी नं. 05, कुल क्षेत्रफल- 2660 वर्गफीट एवं 247.21 वर्गमीटर (म.प्र.)- 474008	17/02/2026 07/05/2025	**Rs. 20,11,831/-** (रुपये बीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ इक्तीस मात्र) दिनांक 17-02-2026 तक	**संपत्ति का विवरण-** ग्राम रायझर प.ह.नं. 31, तहसील सनावद एवं जिला खरगौन, ग्राम पंचायत टोकले डिमांड पंजी नं. 05, कुल क्षेत्रफल- 2660 वर्गफीट एवं 247.21 वर्गमीटर (म.प्र.)- 474008 **चर्तुसीमाएँ :** उत्तर : रास्ता; दक्षिण : मांगलिक भवन; पूर्व : जाधव का मकान; पश्चिम : घनश्याम का प्लाट

यदि उक्त कर्जदार, सह-कर्जदार एवं गारंटर **एमएफएल** को उपरोक्तनुसार भुगतान करने में विफल रहेगें, **एमएफएल** उपरोक्त वर्णित प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने और कानून के अधीन कम्पनी को उपलब्ध अन्य कार्यवाहीं करने का हकदार होगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्ण रुपेण जिम्मेदार होंगे।
उक्त कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) पर सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के तहत, **एमएफएल** की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उपरोक्त प्रतिभूति आस्ति(यों) का ब्रिकी, पट्टा या अन्य प्रकार से हस्तांरण करने के संबंध में रोक लगी है।

स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक : 06.03.2026

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
फॉर - मुथूट फिनकार्प लिमिटेड

कार्यालय कलेक्टर, जिला-खरगोन (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0032/अ-82(NH)/2025-2026
क्रमांक/281/भू-अर्जन/2026 **खरगोन, दिनांक : 24.02.2026**

//प्रारम्भिक अधिसूचना//

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में ''बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए'' भूमि-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि ''कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।'' राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

विवरण	ग्राम बड़वाह की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।	निजी रकबा - 0.6369 शासकीय रकबा - 1.3017 **कुल रकबा - 1.9386**

-: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण
(क) जिला :- खरगोन
(ख) तहसील :- बड़वाह
(ग) ग्राम/नगर :- **बड़वाह**
(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल :- 0.6369 हे.

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टेयर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	**02**	**03**	**04**	**05**
01	50/3/1	0.0013	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
02	50/3/2			
03	51/1	0.0046		
04	51/2/1	0.0049		
05	51/4/2	0.0453		
06	51/4/1	-		
07	74/1	0.3083		
08	63/1	0.0998		
09	63/2			
10	63/3			
11	63/4			
12	63/5			
13	63/6			
14	63/7			
15	53/1	0.1727		
16	53/2			
17	53/3			
18	53/4			
19	53/5			
20	63/9549			
21	63/27			
22	63/36			
23	63/31			
24	63/28			
25	63/29			
26	63/12			
27	63/9539			
28	63/9538			
29	63/9540			
30	63/4			
31	63/30			
32	63/32			
33	63/9547			
कुल रकबा		**0.6369**		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की **तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर** किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

म.प्र. शासन के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(भव्या मित्तल)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला-खरगोन (म.प्र.)

म.प्र. माध्यम/124759/2026